

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर **कुंभर**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केचय कोर्ट) कैथन **कुंभर**

- आदेश :-

प्राची के "खाला दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं परकारी **31/3/22** न पु.अ.वि. **कुंभर**

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **कुंभर** / वगैरे तहसीलदार की अनुमति के आधार

पर राजस्थान पु-उपखण्ड अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारा में प्रांत **दुर्जनपुरा** तहसील **कुंभर** व

जिला **कुंभर** की जवाबदारी संख्या **2024-22** में खाला संख्या **98** में वर्तमान में

एवं प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुदृढ किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (असुद प्रविष्टि)	आदेश (सुद प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	दुर्जनपुरा	98	असुद	असुद सिंह

प्रभारी अधिकारी सिविल
पीठासीन अधिकारी
पंचायत सीमा विवादों
लोक अदालत
(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी का
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमसं. - 49

दिनांक :- 27/5/22

प्रतिवेदन :-

1. तहसीलदार **कुंभर** को भेजकर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद सौभ किया जाकर

2. प्राची को को सूचना दी।

3. रिकार्ड बकाबली।

प्रभारी अधिकारी सिविल
पीठासीन अधिकारी
पंचायत सीमा विवादों
लोक अदालत
(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी का
पदेन सहा. कलक्टर